

कृषि उपज मण्डी समिति कना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2012

1 पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकनोपरान्त पैरों को नवीनतम स्थिते निम्न प्रकार से है:-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/95

1 पैरा-9 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/98

1 पैरा-14 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1 पैरा-17 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1 पैरा-8 अनिर्णीत

2 पैरा-9 निर्णीत (₹13,600/-रसीद सं० 323/42 दिनांक14/3/12 द्वारा जमा करवाए गए)

3 पैरा-10 निर्णीत विपणन बोर्ड के पत्र संख्या: एच.एम.वी 1.84/84-3645 दिनांक 30.9.2000 तथा 3032 दिनांक 27.6.2001 द्वारा प्राप्त स्वीकृति का सत्यापन कर लिया गया)

4 पैरा-17 अनिर्णीत

6 पैरा-18 अनिर्णीत

6 पैरा-19 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1 पैरा-10 अनिर्णीत

2 पैरा-10 अनिर्णीत

3	पैरा-11	अनिर्णीत	
4	पैरा-12	अनिर्णीत	
5	पैरा-13	अनिर्णीत	
6	पैरा-16	अनिर्णीत	
7	पैरा-23	निर्णीत	(कोर्ट केस वारे नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 में दर्शा दी गई है)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा-6	अंशतः निर्णीत	(श्री हिमगिरी फुट कंपनी के "J" फार्म की पूर्ण कर ली गई शेष वारे कार्रवाई अपेक्षित है)
2	पैरा-7	अनिर्णीत	
3	पैरा-8	निर्णीत	(क्रम संख्या 10 पर दर्शाई गई फार्म श्री नरेश चन्द सपुत्र श्री किशन दास के ए० एन० आर० का पुनः निर्धारण चेयरमैन मण्डी समिति ऊना द्वारा दिनांक 22.9.2010 को किया गया जिसके अनुसार उक्त अवधि में कच्चे की दर ₹17000 प्रति क्विंटल थी। इस अवधि में वन विभाग के परिमित के अनुसार फार्म में 338 क्विंटल कच्चा पैदा किया गया था जिस पर उक्त दर से बनी कुल राशि पर देय 1% मण्डी शुल्क की ₹57480- बनती थी तथा इस पर 65% की दर से दण्ड ₹37,349.00 बनती थी। कुल ₹95,000 की वसूली कर ली गई तथा इस के अतिरिक्त शेष फार्मों से वसूली की भी पूर्ण कर ली गई है।)
4	पैरा-10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई है)
6	पैरा-11	अनिर्णीत	
7	पैरा-17	अनिर्णीत	
8	पैरा-18	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा-6	अनिर्णीत	
2	पैरा-7	अनिर्णीत	
3	पैरा-16	अनिर्णीत	
4	पैरा-18	अनिर्णीत	
5	पैरा-19	अनिर्णीत	
6	पैरा-21	अनिर्णीत	(प्रतिभूति ₹250-00 रसीद संख्या 93/43 दिनांक 3-5-12 द्वारा प्राप्त कर ली गई)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा-6	निर्णीत	(बजट अनुमोदन/स्वीकृति पत्र क्रमांक एच0 एम0 वी0 बजट-8098 दिनांक 18.6.2007 व 2315 दिनांक -द्वारा प्राप्त कर ली गई)
2	पैरा-7	अनिर्णीत	
3	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा-9	निर्णीत	(सपयोगिता प्रमाण पत्र संख्या 7810 तथा 9152 दिनांक 3.8.08 व 6.12.08 ₹32,42,400 व ₹91,00000 का सत्यापन कर लिया)
5	पैरा-12	अनिर्णीत	
6	पैरा-18	अनिर्णीत	
7	पैरा-20	अनिर्णीत	
8	पैरा-21	अनिर्णीत	
9	पैरा-22	अनिर्णीत	
10	पैरा-23	अनिर्णीत	
11	पैरा-24 (2)	निर्णीत	(रसीद संख्या 84/4 दिनांक 29.9.2009 द्वारा ₹12,203 की रकम की मुद्रीत कर ली गई है)
12	पैरा-25	निर्णीत	(कर्म द्वारा अवधि 1.3.06 से 30.9.07 तक देय भण्डी

शुल्क का मुल्यांकन आदेश संख्या 11/8 दिनांक 10.1.12 द्वारा किया गया तथा आदेशानुसार मण्डी शुल्क जो कि उक्त अवधि से सम्बंधित था वसूल कर लिया गया)

13	पैरा-27	अनिर्णीत
14	पैरा-28	अनिर्णीत
15	पैरा-30	अनिर्णीत
16	पैरा-32	अनिर्णीत

(अ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2010

1	पैरा-5 (क)(ख)	निर्णीत	(वाकूचर संख्या 76 दिनांक 30.6.11 द्वारा 10,000 का समायोजन किया गया)
2	पैरा-6	निर्णीत	(स्वाम अधिकारी द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिया गया)
3	पैरा-7 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई)
4	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-8	अनिर्णीत	
6	पैरा-9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई)
7	पैरा-10	निर्णीत	(मण्डी समिति रुना की दिनांक 20/9/11 को हुई बैठक की मद संख्या 12 (ख) द्वारा अनुमोदन कर लिया गया)
8	पैरा-11	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर लिया गया)

9	पैरा-12	निर्णीत	(विभिन्न फर्मों से प्रतिभूति राशि की वसूली रसीद संख्या 224/18, 227/09, 194/47, 224/13, 224/11, 215/47, 215/34, 215/06, 220/25, 215/03, 194/41 दिनांक 13.06.11, 11.7.11, 13.05.11, 13.06.11, 13.06.11, 23.06.11, 23.05.11, 2.6.11, 2.5.11, 2.5.11 व 9.5.11 द्वारा कर ली गई जिनका सत्यापन कर लिया गया)
10	पैरा-13(i)व(ii)	अनिर्णीत	
11	पैरा-14(i)व(ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा-15	निर्णीत	(सटिप्पण उतरानुसार निर्णीत)
13	पैरा-16	अनिर्णीत	
14	पैरा-17	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया)
15	पैरा-18	निर्णीत	(वसूली रसीद संख्या 93/36 व 93/37 दिनांक 23.11.11 द्वारा कर ली गई)
16	पैरा-19	निर्णीत	(वसूली बैंक संख्या 15 दिनांक 27.7.10 द्वारा करके राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई गई)
17	पैरा-20	अनिर्णीत	
18	पैरा-21	निर्णीत	(नवीनम स्थिति वर्तमान अकॉउण्ट प्रतिवेदन में दर्शा दी गई)
19	पैरा-22	निर्णीत	(सभी लाईसेंसों का नवीकरण हो गया है)
20	पैरा-23	निर्णीत	(शुद्धिकरण चारे कार्रवाई का सत्यापन कर लिया गया)
21	पैरा-24	अनिर्णीत	
22	पैरा-25	निर्णीत	(₹114.00 की वसूली रसीद संख्या 215/23, 231/27, 231/26 दिनांक 6.05.11, 28.4.11 द्वारा कर ली गई)

23 पैरा-28	निर्णीत	(वाञ्छित अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया)
24 पैरा-27	निर्णीत	(वाञ्छित निलामीकर्ता के हस्ताक्षर हेतु पुष्टि कर ली गई)
25 पैरा-28	अनिर्णीत	
26 पैरा-29	अनिर्णीत	
27 पैरा-30	निर्णीत	(प्रथम कापी किसान को जारी की जाती है)
28 पैरा-31	अनिर्णीत	
29 पैरा-32	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई)
30 पैरा-33	अनिर्णीत	
31 पैरा-34	अनिर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई)

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 30/2012 का अंकेक्षण जिसके परिणाम अंकेक्षण रिपोर्ट में दिए गए हैं श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री संजीव कुमार अंकेक्षण विभाग लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.3.2012 से 5.5.2012 के दौरान ऊना में किया गया। विस्तृत जाँच पड़ताल हेतु आय के लिये मास 11/10, 1/11, 12/11 व 2/12 तथा व्यय के लिये मास 10/10, 3/11, 11/11 व 3/12 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any information or non-information on the part of auditee."

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान मण्डी समिति ऊना के आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी निम्नानुसार थे:-

क्रम संख्या	नियन्त्रण एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	कार्य मास अवधि
1	श्री सुशील कुमार गुलेरिया	1.4.10 से 31.3.12

3. अंकेक्षण शुल्क:-

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹101,518/- आका गया जिसे निर्देशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 5/8/2012 दिनांक 2/4/2012 द्वारा सचिव कृषि सप्ल मण्डी समिति ऊना से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹1,01,518.00 को एक्सिस बैंक के ड्राफ्ट संख्या 174211202 दिनांक 1/5/2012 द्वारा भिजवा दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

संस्था द्वारा प्रस्तुत में विपणन समिति ऊना की अंकेक्षणधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

	2010-11	2011-12
प्रारम्भिक शेष	57,89,316-03	62,00,738-03
आय	88,89,782-00	1,35,07,906-00
बीज	1,56,79,088-03	1,97,08,644-03
व्यय	94,78,360-00	1,08,25,307-00
शेष	62,00,738-00	88,83,337-00

दिनांक 31.3.2010 को अन्तिम शेष का विवरण:-

(क)	वचत खातों में जमा राशि (परिशिष्ट "क" के अनुसार)	29,82,904.03
(ख)	सावधिक जमा योजना में निवेशित राशि (परिशिष्ट "ख" के अनुसार)	56,59,774.00
(ग)	हस्तगत राशि	2,12,667.00
	कुल योग	88,55,345.03
	अन्तर	27,982.00

अन्तर के कारण:-

दिनांक 31/3/2012 को रोकडवही के अन्त शेष तथा वास्तविक शेष के अनुसार उपरोक्त ₹27992 का अन्तर बैंक व्यवहार (Banking transaction) के कारण पाया गया जिसे परिशिष्ट (ग) पर बैंक समाधान विवरण में दर्शाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 आय-व्यय विवरण:-

कृषि उपज मण्डी समिति कुना का गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट "घ" में संलग्न है। आय-व्यय की मदों के बारे में विस्तृत विवरण परिशिष्ट "घ-1" पर संलग्नित किया गया है।

6 अग्रिम राशियाँ :-

(क) कृषि उपज मण्डी समिति कुना द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान की गई अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शून्य थीं।

(ख) मण्डी समिति कुना द्वारा निम्नानुसार अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान हि0 प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन शिमला को कम्प्यूटर के क्रय हेतु ₹37,900/- अग्रिम में रूप में जारी की गई थीं जिसे अंकेक्षण अवधि तक समायोजित नहीं किया गया। अतः समायोजन लेखें प्रस्तुत करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्वापनार्थ प्रस्तुत करें।

7 बकाया किराए की ₹21,336.00 की वसूली न करना:-

मण्डी समिति के किराया रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागो/स्टालों से किराए की ₹21336/-वसूली हेतु लम्बित है, जिसकी वसूली नियमानुसार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए :-

क्र०सं०	विभाग/स्टाल का नाम	दुकान संख्या	लम्बित किराया (दिनांक 31.3.12)
1	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	3	7000
2	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	कूथ सं० 5-6	3600
3	राजेश टी स्टाल		400
4	तहसीलदार चुनाव ऊना	कार्यालय	10336
योग			₹21,336.00

8 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा जमा/निक्षेप कार्य करवाने हेतु अदा की गई ₹40,44,878/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:-

मण्डी समिति ऊना द्वारा विभिन्न जमा/निक्षेप कार्य करवाने हेतु बोर्ड के पास अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान विवरणानुसार 40,44,878/-जमा करवाई गई है, परन्तु मण्डी समिति ऊना द्वारा जमा/निक्षेप कार्य करवाने के एवज में भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये। अतः अवशिष्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र अव प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र० सं०	उद्देश्य	राशि भंजन की तिथि	राशि (₹)
1	रिपेयर आफ वाऊण्डरी बाल	1-5-10	3,82,458
2	छाइट वाशिंग एवं पेन्टिंग	24-3-11	1,65,700

	कप बोर्ड इन आफिस बिल्डिंग	24-3-11	44,400
4	टाइल फ्लोरिंग इन आफिस हॉल	24-3-11	51,300
5	रिपेयर आफ प्लाट होल्स एंड ट्रेनिंग इन यार्ड	24-3-11	5,30,600
6	कन्सट्रक्शन आफ 4नः शापस	28-11-11 व 21-3-12	16,73,700
7	कन्सट्रक्शन आफ चैक पोस्ट	28-11-11	1,22,500
8	कन्सट्रक्शन आफ प्लेट फोरम/हाल विट वाटर टैंक फोर पोउंड फिशरमैन	15-2-12	1,59,150
9	कन्सट्रक्शन आफ कुलेशन सेंटर	15-2-12	6220
10	डिसयैन्डलिंग एंड रिलेयंग आफ डैमेज आर0सी0सी0स्लेब	21-3-12	3,21,150
11	कन्सट्रक्शन आफ सैपिटक टैंक	21-3-12	94,900
12	पी/एफ रॉलिंग स्ट्रर	21-3-12	11,200
13	पी/एफ कोलेपसीबल गेट	21-3-12	33,850
14	रेनोवेशन आफ सूट न0 1	21-3-12	81,800
15	कन्सट्रक्शन आफ ट्रेपीजोडइल ड्रेन	21-3-12	3,65,900
	कुल योग		₹40,44,878

9 कृषि उपज मण्डी समिति रुना के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानदारों, फर्मा, विभागों एवं संस्थाओं से मार्केट फीस की वसूली हेतु रिटर्न प्राप्त न करने वारे:-

मण्डी समिति रुना के अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान सचिव कृषि उपज मण्डी रुना (जिसके विवरण संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर दर्शाया गया है) के अनुसार मुख्य मार्केट बोर्ड एवं सचिव यार्ड रुना के विभिन्न दुकानदारों फर्मा विभागों एवं संस्थाओं से वर्धित अवधि की मार्केट फीस के वसूली नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण समाप्ति तक की इस अवधि की रिटर्न समिति में दाखिल की गई थी जबकि हि0प्र0 कृषि औद्योगिकीय उत्पाद विपणन सामान्य नियम 2008 के नियम 30 (4) के अनुसार रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत फर्मा से रिटर्न प्राप्त न करने का अविचल स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है। अतः उक्त प्रकरण प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ध्यान में लाया जावे।

10 लाईसैन्स का नवीनीकरण बारे—

मण्डी समिति ऊना द्वारा निम्नानुसार विभिन्न लाईसैन्स धारकों को लाईसैन्स जारी किए थे परन्तु लाईसैन्स रजिस्टर के जाँच करने पर पाया गया कि अंकुशपाधीन अवधि के दौरान इन लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे में हि०प्र० कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन आधरण नियम 2008 के नियम 21(1) व (12) के अनुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित कि जाए।

क्र०सं०	लाईसैन्स धारक का नाम	जिस वर्ष हेतु लाईसैन्स नवीनीकरण वांछित था
1	डोगरा ट्रेडिंग कम्पनी ऊना	2011-12
2	त्रिवेणी फूट प्रोडक्ट्स ऊना	2011-12
3	पुरी ट्रेडिंग अरविंद मार्ग ऊना	2011-12
4	मेहता टिम्बर अम्ब	2011-12
5	कृष्णा इन्टरप्राइजेज गगरेट	2011-12
6	रमजान मोहम्मद गगरेट	2011-12
7	अंकुर मल्होत्रा वेस्का मिल्क एजेंसी मजाल	2011-12
8	मै० पंजाब मटका मीट शाप	2011-12
9	जय शकर फूट कम्पनी टाहलीवाल	2011-12
10	कृषि बहडाला	2011-12
11	जागिन्द्र सिंह सपुत्र श्री जुगल किशोर रायपुर सहोडा	2011-12
12	नन्दलाल सपुत्र श्री हंस राज सन्तोषगढ़	2011-12
13	मै० पंजाब मटका मीट शाप	2011-12

11 श्री कुलदीप कुमार मार्केट सुपरवाइजर को गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹6083/- का अधिक भुगतान:-

श्री कुलदीप कुमार की पदोन्नति निलामी कर्ता से मार्केट सुपर वाईजर पत्र संख्या: एच0 एम0 वी0 (13 4- 1/97-(97)-(1)-10868 दिनांक 24-12-2009 द्वारा की गई। उनकी पदोन्नति तदर्थ (Adhoc) आधार पर की गई थी तथा उन्होंने इस पद पर दिनांक 14-1-2009 को कार्यग्रहण किया और उन्हें दिनांक 4-1-2009 को कार्यग्रहण/पदोन्नति के फलस्वरूप एक वेतन वृद्धि प्रदान कि गई जो निम्नानुसार थी:-

निलामी कर्ता के पद पर वेतन	मार्केट सुपरवाइजर के पद पर दिनांक 14-1-2009
पी0वी +जी0पी=कुल	से वेतन पी0वी +जी0पी =कुल
18370+3600 =19970	18970+3800 =20770

तदोपरान्त निर्देशक विपणन बोर्ड के आदेश संख्या एच एम पी/7-2/98-11-9208 दिनांक 28-8-2011 द्वारा उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार से नियमित कर दी गई तथा श्री कुलदीप कुमार ने पदोन्नति नियमित होने के फलस्वरूप अपनी पदोन्नति की वेतन वृद्धि मार्केट सुपरवाइजर के पद पर वार्षिक वेतन वृद्धि (जो कि निलामी कर्ता के पद पर प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्राप्त कर रहे थे) को लेने के पश्चात माह 7/2009 से अपना वेतन निर्धारण करने का आग्रह किया तथा माह 1-7-2009 से निलामीकर्ता के पद पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के पश्चात उनके विकल्प के दृष्टिगत मार्केट सुपरवाइजर के पद पर उनका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया:-

निलामी कर्ता के पद पर वेतन	मार्केट सुपरवाइजर के पद पर दिनांक 1.7.2009 से वेतन
पी0वी +जी0पी =कुल	वार्षिक वेतन वृद्धि द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन
	पी0वी +जी0पी =कुल
18,370+3600 19970	17,590+3800 21,390

यद्यपि श्री कुलदीप कुमार तदर्थ आधार पर एक वेतन वृद्धि 14-1-09 से ले चुके थे तथा नियमित के उपरान्त उनके विकल्प के दृष्टिगत यह वेतन वृद्धि दिनांक 1-7-2009 से ही देय बनती है। अतः उन्हें दिनांक 14-1-2009 से 30-6-2009 के दौरान निम्नानुसार किए गए अधिक भुगतान ₹8083/- की वसूली की जाए।

दिनांक	देय वेतन पीपी + जीपी + महगाई भता 22%	भुगतान किया गया वेतन पीपी + जीपी + महगाई भता 22%	अधिक भुगतान/अन्तर
14.1.09 से	16370+3600 +4378=24348	16370+3600 +4669=25339	
31.1.09(18 दिन)	(18 दिनों के लिए =14138)	(18 दिनों के लिए =14713)	575
1.2.09 से 30. 6.09 (5 मास)	16.370+3600 +4378=24348	16370+3600 +4669=25339 (991X5 मास)	4955
		कुल योग	5530
		नियोक्ता द्वारा उक्त पर दिया सीपीपीएफ पर 10% अशदान	563
		कुल योग	₹8023

- 12 संशोधित वेतनमान के फलस्वरूप श्री बन्देश्वर सैन निलामी कर्ता को देय वकाया भुगतान हेतु की गई गणना में ₹3056/- का अधिक भुगतान :-

श्री बन्देश्वर सैनी निलामी कर्ता को पाँचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप संशोधित वेतनमान अवधि 1-1-08 से 31-8-09 का वकाया भुगतान ₹92,797-00 (जिसमें से ₹23914-00 की कटौती सीपीपीएफ के रूप में की गई है) किया गया। उक्त वकाया भुगतान की गणना कि जाँच करने पर पाया कि उक्त कर्मचारी को अवधि 1-1-09 से 31-1-09 अवधि तक एक बार वेतन वृद्धि अन्तर्गत संशोधित वेतनमान एवं पूर्व वेतनमान के अन्तर्गत मूल वेतन के अन्तर्गत तीन इन्सालों को एक माह स्थान पर तीन माह से गुणा करने के उपरान्त

3958/- (1979x2) का अधिक भुगतान (जिसमें कि सीपीएफ की गणना भी सम्मिलित थी) कर दिया गया। अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर उपरोक्त उक्त अधिक भुगतान कि वसूली मण्डी समिति द्वारा कर विल/बाकचर संख्या 252 दिनांक 31-3-12 द्वारा कर ली गई। अतः परामर्श किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता कि पुनरावृत्ति न की जाये।

13 मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे—

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के चयनित मासों में विभिन्न लाईसेन्स धारको द्वारा मण्डी समिति में दर्ज करवाई गई मण्डी शुल्क हेतु रिटर्न कि जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की राशि मण्डी समिति में कम जमा करवाई गई थी, जो कि (आर) फार्म में दर्ज विभिन्न पदों कि उनके अन्तर्गत वर्गों से गलत गुणा/जमा के कारण तथा (आर) फार्म से मात्रा को मूल्य सहित (0) फार्म पर दर्ज करते समय पाई गई थी, जिसकी वसूली सम्बन्धित लाईसेन्स धारको से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	फार्म का नाम	दिनांक/अवधि	देव मण्डी शुल्क	जमा मण्डी शुल्क	कम जमा मण्डी शुल्क
1	मै० शिवालिक फ्रूट क० सन्तोषगढ	28.11.11	143	68	75
		13.12.11	64	58	6
		28.1.11	66	60	6
2	मै० लक्ष्मी फ्रूट क० सन्तोषगढ	28.6.11	38	34	2
		28.8.11	31	30	1
3	मै० कौशल फ्रूट क० सन्तोषगढ	9.2.12	33	30	3
4	मै० वाका फ्रूट क० ऊना	1.2.12 से 10.2.12	915	813	102

14 विश्राम गृह किराए की नई दरों को लागू न करने के कारण ₹540-00 की कम वसूली—

सदस्य सचिव एवं प्रवच्य निदेशक हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच0 एम0वी(आर) 195-2456 दिनांक 3-4-2010 के अनुसार विश्राम गृह /किसान बगनों में विभिन्न वर्गों के लोगों के ठहसने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 4-11-2008 से निर्धारित दरों का संशोधन उक्त पत्र द्वारा किया गया जिसे 1-4-2010 से लागू किया गया था परन्तु अवेक्षण अवधि के चयनित मासों में विश्राम गृह किराया रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि समिति द्वारा नई दरों अनुसार निम्नाविवरणानुसार ठहराव करने वाले व्यक्तियों से संशोधित दरों की वसूली नहीं की गई अर्थात् इनसे कम वसूली के गई जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके लेखों में तुरन्त जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों में कम वसूली गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करके अपेक्षित वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	ठहसने वाले बान्नी/व्यक्ति	बैठ/कमरा संख्या	आगत तिथि व समय	निगम तिथि व समय	ठहसने पर दिन	पर	वसूली बोम्ब राशि	वसूली राशि	कम वसूली की गई राशि
1	सोप्री हरी चन्व सोनीपत	1 (बैठ)	1-4-10 6 PM	3-4-10 8 AM	2	30	60	40	20
2	पंकज कुमार हमीरपुर	1 (बैठ)	1-4-10 6 PM	2-4-10 8 AM	1	30	30	20	10
3	राजेश कुमार मिनापुरी	4 (कमरा)	1-4-10 6 PM	2-4-10 9 AM	1	200	200	100	100
4	कमलदीप सिंह पूरु	1 (बैठ)	1-4-10 7 PM	2-4-10 6 AM	1	30	30	20	10
5	पवन कुमार मण्डी (कर्मचारी सेवारत)	4 (कमरा)	2-4-10 6 PM	3-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
6	टेक चन्द झुगी	1 (बैठ)	2-4-10 8 PM	3-4-10 9 AM	1	30	30	20	10
7	पंकज कुमार नदीग	1 (बैठ)	2-4-10 3-4-10	3-4-10	1	30	30	20	10

K

			8 PM	9 AM					
8	लक्ष्मेश ठाकुर चुवाडी	1 (वेड)	3-4-10 9 PM	6-4-10 7 PM	30	30	90	60	30
9	राजेश शर्मा	2 (कमरा) शिमला -12	4-4-10 4 PM	6-4-10 9:30 AM	2	200	400	200	200
10	सुरेश कुमार हगीरपुर (सेवास्त कर्मचारी)	4 (कमरा)	4-4-10 7 PM	5-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
11	सोनु देव	1 (वेड)	4-4-10 8 PM	6-4-10 7 PM	2	30	60	40	20
12	श्री मती विमला चौहान शिमला	3 (कमरा)	5-4-10 8 PM	6-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
13	श्री चतर सिंह एड कम्पनी	7 (वेड)	5-4-10 8 PM	6-4-10 9 AM	1	30	210	140	70
14	मनमोहन लाल ऊना(सेवास्त कर्मचारी)	4 (कमरा)	5-4-10 9 PM	6-4-10 9:30 AM	1	50	50	40	10
15	दिनेश गुप्ता चुवाडी	2 (वेड)	5-4-10 9 PM	6-4-10 7AM	1	30	60	40	20

योग 540

16 न्यू-राजस्व (एनएनआर) की घोषित ₹16,70,646/- की वसूली न करने बारे-

विभागाध्यक्ष कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1998 एक्ट 9 ऑफ 1970 की धारा 38 (2) तथा डिप्टी कृषि एवं कर्षण विभागीय उपज (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 68 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा परिशिष्टि (च) के अनुसार ₹16,70,646/- एरियर ऑफ लेण्ड रैवन्चु के रूप में वसूली योग्य ₹16,70,646/- घोषित की गई है परन्तु वसूली बारे नाममात्र ही कार्रवाई की गई है जिसे विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला सम्महर्ता के पास मैसार्ज महेश उद्योग अयल का सम्बन्ध दिनांक 16.2.2008 को ₹5,20,10,292.08/- की वसूली ऑफ लेण्ड रैवन्चु घोषित की गई है। अतः निर्णय आगे कर इस प्रकार के वसूली कार्रवाई के लिए निर्णय किया गया है।

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में अधिक भुगतान बारे में-

चयनित मासों में कर्मचारियों को किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान की जांच करने पर पाया कि उन्हें निम्नानुसार दवाइयां देय नहीं थी जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र.सं०	वा.सं०	मास	कर्मचारी का नाम	विवरण	भुगतान	देय भुगतान	अधि क भुगतान	टिप्पणी
1	111	10/2010	श्री कुलदीप सैणी	कोबाडेक्स (Cobadex)	112	-	112	-
2	131	11/2010	श्री गुरदयाल सिंह	Urine R/C/ Urine C/S	190	100	30	-
3	144	11/2010	श्री गुरदयाल सिंह	HB,FBSLFT, RPT Urine,HE,C,S (ii) Urine C,S	590	240	350	-
4	214	3/2012	श्री राजेन्द्रपाल चपड़ासी	C.T Scan (Bladder)	1400	300	1100	-
5	211	3/2011	श्री कुलदीप कुमार चपड़ासी	C.T Scan	450	200	250	-
6	207	3/2011	श्री मति दीना कपूर	Durocare	154	-	154	डाक्टर द्वारा दवाइ नहीं

लिखी गई

17 दुकान के अनुबन्ध को दुकान मालिक से हस्ताक्षरित न करवाने बारे :-

समिति की दुकानों को किराए पर देने हेतु किए गए अनुबन्धों की जांच करने पर पाया गया कि वृथ संख्या 4. श्री केशर सिंह, सुपुत्र श्री मन्दिर सिंह गांव व डाकघर बहडाला, तहसील ऊना को पत्र संख्या म०स०उ० 7-1/83-267 दिनांक 16-4-2010 द्वारा ₹1200-00 मासिक किराए पर दी गई थी परन्तु उक्त व्यक्ति के साथ किराए हेतु किए गए अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे जिसे अब करवाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

18 मण्डी शुल्क की ₹52/-की कम वसूली करने बारे :-

श्री लक्ष्मी फूट ट्रेडिंग कम्पनी सन्तोषगढ़ के 'आर' फार्म संख्या 044868 से 044872 के अनुसार अवधि 21.1.2012 से 31.1.2012 का कुल मण्डी शुल्क ₹372/- बनता था जबकि वसूली ₹320/- की गई थी। अतः उक्त फर्म से ₹58.00 कम वसूल किए गए थे जिसकी वसूली अब की जाए।

19 प्रत्येक व्यापारी/लाइसेंसी द्वारा वार्षिक लेखों प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान जांच में पाया गया कि मण्डी समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापारी/लाइसेंसी से हि०प्र० कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विकास एवं विनियम विधेयक (साधारण) नियम 2006 की धारा 80 (1) तथा हि०प्र० कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन 2008 के नियम 37 (1) के अनुसार अपने वार्षिक लेखों सम्वन्धी लेन देन विवरण (Statement of Transaction) प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले फार्म 'बी' पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है परन्तु उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की और न ही इस बारे मण्डी समिति ऊना द्वारा कोई भी कार्रवाई करते समय कर्मों/व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे जो कि अनियमित है। अतः उक्त लेखों को न प्राप्त करने बारे औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए।

20 नियमानुसार अभिलेख का तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2008 के विधेयक नियमों में दिए गए निम्नलिखित अभिलेखों को मण्डी समिति ऊना द्वारा तैयार नहीं किया/करवाया गया है तथा वर्तमान में भी तैयार नहीं करवाया जा रहा है जिसके बारे में नियमों के दृष्टिगत इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार तैयार करवाया जाए सुनिश्चित किया जाए।

क्र०स०	फार्म संख्या	नियम	उद्देश्य
1	“एल”	30 (4)	विक्रेता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर
2	“पी”	30 (11)	निलामी रजिस्टर।
3	“एस”	31 (7)	प्राइवेट मण्डी प्रांगण में बरा जाने वाला रजिस्टर
4	“डब्ल्यू”	37 (2)	समिति द्वारा अनुरक्षित कृषि उपज के फय और विक्रय का रजिस्टर।

21 विभिन्न न्यायालयों में मण्डी समिति द्वारा दायर प्रकरण के बारे में:-

मण्डी समिति द्वारा जारी सूची जो कि परिशिष्ट (छ) में दर्शाई गई है के अनुसार अवधि 3/2012 तक अनेक व्यापारियों के विरुद्ध लाईसेन्स प्राप्त करने व किरायों की वसूली से सम्बन्धित मामले में दायर है। अतः इन सभी मामलों में अदालती निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

23 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

Sd/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल.ए)सी(15)(14)83/84खण्ड-6, दिनांक 05.11.2012
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :-

पंजीकृत :- 1. प्रधानाचार्य, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति ऊना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण

प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर शीघ्र निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि०प्र० शिमला.171009 को भेजें ।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) हि०प्र० सरकार शिमला-171002.
3. प्रबन्ध निदेशक हि०प्र० कृषि राज्य कृषि विपणन नवन बोर्ड खलीनी शिमला-2
4. श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

Sd/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.